

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23072021-228431
SG-DL-E-23072021-228431असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2021/आषाढ़ 31, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 93
No. 199]	DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2021/ASHADHA 31, 1943	[N. C. T. D. No. 93

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस - 2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

सं. फा./2/1/1988/गृह पुलिस-2/खण्ड-1/1592-1595.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/07/2021 to 18/10/2021 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एल0के0 गौतम, उप-सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 19th July, 2021

No. F.2/1/88-HP-II/ Pt.-I/1592-1595.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/07/2021 to 18/10/2021** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

L.K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-II)